



श्रमायुक्त कार्यालय  
मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

न्यूनतम वेतन  
एवं  
मंहगाई भत्ते की दरे

दिनांक 01/04/2015 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाइट  
[www.labour.mp.gov.in](http://www.labour.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु दिनांक

01 / 04 / 2015

से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील  
मंहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66 तक कुल 63 नियोजन

63 नियोजन

पृष्ठ क. 01-11

प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं  
दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी  
हेतु अनुसूची "क"

पृष्ठ क. 12

कृषि नियोजन

पृष्ठ क. 13-15

बीड़ी नियोजन

पृष्ठ क. 16-22

अगरबत्ती उद्योग

पृष्ठ क. 23-28

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 1/11/अन्वे/पांच/2015/9290-589,

इंदौर, विनांक 30-8-15,

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष 2014	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	252
अगस्त	253
सितम्बर	253
अक्टुबर	253
नवम्बर	253
दिसम्बर	253
(औसत)	$1517 \div 6 = (252.83) 253$

तथा, इनका औसत 253 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.9.2014 जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10.10.2014 को प्रकाशित किया गया के द्वारा परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 1.4.2015 से 30.9.2015 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

  
( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत  
सक्षम प्राधिकारी

**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर**

**परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप**

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 358 से 380, 384से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार गानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./ पांच/2015/ 9290-589 दिनांक 30-3-15 के अनुसार जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 253 रहा है, तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि 12 ( बारह ) औसत बिन्दुओं की तथा गत छः माही अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर 12 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 63 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25.00 (रु.पच्चीस) प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये 300/- (तीन सौ ) प्रतिमाह की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये 300.00 प्रतिमाह या रूपये 11.53 (300÷26) प्रतिदिन दिनांक 1.04.2015 से 30.09.2015 तक देय है। (अनुसूची अ,ब,स)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची "क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 1.04.2015 से 30.09.2015 तक देय है।

## अनुसूची - अ

63 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
------------------	--------------------------	----------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------------------	----------	-----------------------------------

प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

( दिनांक 01.10.2014 से 31.03.2015 तक )

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5939.00	228.42	—	—	5939.00	228.42	228.00	अकुशल	5939.00	228.42	300.00	11.53	6239.00	239.95	240.00
7057.00	271.42	—	—	7057.00	271.42	271.00	अधकुशल	7057.00	271.42	300.00	11.53	7367.00	282.95	283.00
8435.00	324.42	—	—	8435.00	324.42	324.00	कुशल	8435.00	324.42	300.00	11.53	8735.00	335.95	336.00
9735.00	374.42	—	—	9735.00	374.42	374.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	300.00	11.53	10035.00	385.95	386.00

## स्पष्टीकरण-

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांक को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

\* (2) अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण हेतु श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.1.2015 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.1.2015) द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है जिस पर अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियाधिन है। अंतिम प्रकाशन उपरान्त पृथक से संशोधित दरें प्रकाशित की जा सकेंगी।

(क.सी. गुप्ता)

श्रमायुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

टीप :- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अंतर्गत 63 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है**


**भाग-एक**

क्र.	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी ईट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम / जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है/ में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मेंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि. 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

34.	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पैथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35.	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था , जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36.	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39.	किसी खदान जैसे कंकड़,मुरम,लेट्राईट,बोल्डर,ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती,बिल्डिंग स्टोन,रोड मेटल,अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है,में नियोजन
40.	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
41.	किसी बेकरी में नियोजन
42.	किसी कोल्ड स्टोरेज(शीतागार) में नियोजन
43.	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44.	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजननालय में नियोजन
45.	किसी सिनेमागृहो या थियेटरो में नियोजन
46.	किसी क्लब में नियोजन
47.	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48.	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49.	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50.	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51.	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52.	किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53.	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पो में नियोजन
54.	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55.	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57.	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58.	किसी निपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंको(को-आपरेटिव बैंक में नियोजन)
59.	किसी होजयरी में नियोजन
60.	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेन्ट भी शामिल है) में नियोजन
61.	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62.	किसी खिलोना निर्माण,जिसमें कपड़े से निर्मित खिलोने भी सम्मिलित है,में नियोजन
63.	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64.	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65.	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66.	किनी अचार,बड़ी,पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन


## भाग-दो

1.	कृषि में नियोजन
----	-----------------

  
 ( के.सी.गुप्ता )  
 श्रमायुक्त  
 मध्यप्रदेश,इन्दौर

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरण:-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित केलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा वर्ग कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा :-
  - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सकें तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए.
  - (ख) "अर्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हों और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
  - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करना है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
  - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।
- (4) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है।
- (5) किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
- (6) न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
- (7) जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जाये, जो आठ घंटे, दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (8) यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
- (9) कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

  
 ( के.सी. मुस्ता )  
 भ्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर



अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची:-

अकुशल:-

मजदूर (पुरुष एवं महिला) भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, माली, चपरासी, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मेन (खल्लासी), व्हीकल अटेण्डेंट, पहरेदार, कुली, डाकरनर, वॉचमैन, बाटल क्लीनर, वेटर, सर्विस मेन, गैट कीपर, ट्राली बाय, पोस्टरमैन, वेंडर, प्रेसमैन, छेड़ेंवाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, घरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंस वेंडर, बालवाड़ी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला तथा अन्य अकुशल श्रमिक, रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास करियर (डाले वाला), गनी बेग फौलर, लिटकेरियर, कॉटनशीट्स केरियर, कपास पीकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोंडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, प्यून (भृत्य), सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सूखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, काडिंग लेफा पेकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बाय, सेक्यूरिटी गार्ड, सुरक्षा कर्मी, अप्रशिक्षित माली, अटेन्डर, अटेडेन्ट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), कार्डिंगलेफा, चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला ।

अर्द्धकुशल:-

तार स्प्रेअर, तार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाइट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहरर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर, वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेस मेन, बिल मेन, यातायात कर्मचारी-गण, सहायक मेकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रीलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टीकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पेटर्न मेकर, सहायक ग्रासर, सहायक आईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेन्ट, व्हीलरो केरियर, क्वेरीमेन, व्हायटिंग, क्लिनिंग, प्रेसरी ड्रायव्हर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोटल फिलर, केप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सपेलेर मेन, मशीन अटेन्डेन्ट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, सहायक आपरेटर, रिवाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेट्रीमैन, सहायक सेल्समेन, मशालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गुथने वाला, या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईंट जमाने वाला, मशीन फौलर, स्टीपर फौलर, हेडफौलर, काटा फौलर, गांठवाला, सहायक जावर, सह सचिव, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से द्वीस करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाइजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पेन आपरेटर, शार्टर, मुंशी, फार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी. असिस्टेंट, असिस्टेंट कम्पाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफ्ट मेन, सहायक सिक्कुरिटी सुपरवाइजर, कापिस्ट, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेन्डेन्ट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शॉप श्रमिक, पम्प आपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर पेन मिल, फ्रिक्शन, प्रेस श्रमिक, गार्डनर (प्रशिक्षित माली), पंचमिक्सर, बी एवं सी मिक्समैन, कास्टर किलन्स, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा आपरेटर, चिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, बेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, डार्क रूम सहायक ।

**कुशल:-**

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, खानसामा, कुक (रेंसीडेंसी कोठी) ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेंसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास) या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी, केबिनेट मेंकर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडाऊनकीपर, फिटर, बायलर अटेण्डेंट, टर्नर, मोल्डर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड रोलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ड्रिलर, ग्राइण्डर, मेकेनिक, वैल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सेलर मिस्त्री, सुपरवाईजर, तंदूरची, टी मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनानेवाला कर्मचारी, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाड़ी या अशासकीय, आपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सीनियर गार्ड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग स्नातक, एम टेक/एम.एस.सी डिग्री प्राप्त हाईड्रोइंजीनियरिंग, जियालॉजिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी एवं टेक्निकल डिप्लोमाधारी, मुनीम, वूड पॉलिसर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोर किपर, ब्लेक स्मिथ, शोपर, व्हल्कनाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोल्स्टर, कारपेंटर, टेलीफोन आपरेटर, वायरलेस आपरेटर, पेटर्न मेकर, हेमरमेन, ग्रासर, प्रयोगशाला तकनिशियन, शावल, बेलसिंकर, प्रयोग शाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लांट अटेण्डेंट मोटरमेन, भट्टी वाला, पोहा बनाने वाला, पेंटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, कताई इंचार्ज, कंप्रेसर आपरेटर, रिसेप्सनिष्ट, स्टेनोग्राफर, लान्डी अटेन्डर, वाहन चालक, कम्प्यूटर टाईपिस्ट, कुक, सेक्युरिटी सुपरवाईजर, सिनियर कम्पाउन्डर, सिनियर नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेकार्ड कीपर, ओटी मेकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन), दर्जी रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोन क्रशर, चर्खा चालक, मास्टर (कारीगर) जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमैन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलीसर, ड्रायक्लिनडोजर, स्क्रैपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सिनियर मेकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेकनिशियन के सहायक, लायब्रेरीयन (ग्रंथपाल) पाईपमेजर ऑपरेटर, पॉलिसर, टूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवांगजर, वेड पेन ऑपरेटर, मेकेनिक कम ऑपरेटर, वेडर्स मेकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्स मेकेनिक कम ऑपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन तथा अन्य कुशल कर्मचारी ।

**उच्च कुशल:-**

कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजिनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि

**किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची :-**

**उच्च कुशल:-**

कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजिनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्निकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि  
**लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे:-**

अकाउण्टेंट, केशियर आदि ।

**लिपिकीय श्रेणी "दो" :-**

बिलमेन, टायपिस्ट, क्लर्क ।

**कुशल श्रेणी "एक" जैसे :-**

फोटोलिथोग्राफर, लिथोऑर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि ।

**कुशल श्रेणी "दो" जैसे :-**

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सीनियर रीडर आदि ।

**कुशल श्रेणी "तीन" जैसे :-**

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवांडर स्ट्रीचर मशीनमैन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि ।

**अर्द्धकुशल श्रेणी "एक" जैसे :-**

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, अरिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, बेक्सीनर, बॉक्सीन मशीनमेन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोट प्रिंटिंग आदि ।

**अर्द्धकुशल श्रेणी "दो" जैसे :-**

स्ट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काऊण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर प्रुफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूम असिस्टेंट फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि ।

**अकुशल श्रेणी जैसे :-**

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइडिंग बायक्लिनर, मजदूर आक्जिलरी, गेलीप्रुफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंगबाय रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोट प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि ।

( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त,  
मध्यप्रदेश, इन्दौर

## अनुसूची -ब

## किरी स्लैट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महगाई अत्ता भी सम्मिलित है (आकड़े रूपों में)

न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील	कुल वेतन	रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें महगाई अत्ता	परिवर्तनशील	कुल वेतन	रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दर						
प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन						
(दिनांक 01.10.2014 से 31.03.2015 तक)				(दिनांक 01.04.2015 से 30.09.2015 तक)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10155.00	390.57	—	—	10155.00	390.57	391.00	कटर्स	10155.00	390.57	300.00	11.53	10455.00	402.10	402.00
9522.00	366.23	—	—	9522.00	366.23	366.00	रोलर्स, मिच्री, पाईटर्स	9522.00	366.23	300.00	11.53	9822.00	377.76	378.00
6705.00	257.88	—	—	6705.00	257.88	258.00	पेकर, पट्टीपेकर, सीपर	6705.00	257.88	300.00	11.53	7005.00	269.41	269.00
8435.00	324.42	—	—	8435.00	324.42	324.00	गुनी, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435.00	324.42	300.00	11.53	8735.00	335.95	236.00
5939.00	228.42	—	—	5939.00	228.42	228.00	* गजपूर	5939.00	228.42	300.00	11.53	6239.00	239.95	240.00
9735.00	374.42	—	—	9735.00	374.42	374.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	300.00	11.53	10035.00	385.95	386.00

## स्पष्टीकरण-

(1) मजदूरी निर्धारण में वैसे तथा रूपये के गुणोंको को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 वैसे अथवा उससे अधिक वैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 वैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(2) अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण हेतु श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.1.2015 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.1.2015) द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है जिस पर अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही प्रकियाधिन है। अंतिम प्रकाशन उपरान्त पृथक से संशोधित दरें प्रकाशित की जा सकेंगी।

( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर



मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनमोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई अनुसूची -क भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	कर्म-चारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें					
प्रतिमाह प्रतिदिन (दिनांक 01.10.2014 से 31.03.2015 तक)	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5939.00	197.96	—	—	5939.00	197.96	198.00	5939.00	197.96	300.00	10.00	6239.00	207.96	2098.00
7057.00	235.23	—	—	7057.00	235.00	235.00	7057.00	235.23	300.00	10.00	7357.00	245.23	245.00
8435.00	281.16	—	—	8435.00	281.16	281.00	8435.00	281.16	300.00	10.00	8735.00	291.16	291.00
9735.00	324.50	—	—	9735.00	324.50	325.00	9735.00	324.50	300.00	10.00	10035.00	334.50	335.00


#### स्पष्टीकरण-

(1) मजदूरी निर्धारण में पेसे तथा रूपये के गुणकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पेसे अथवा उससे अधिक पेसे हो तो, उन्हें अगले चक्कर रूपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पेसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।

(नोट:- कालम नं. 6 एवं 7 प्रथम में संशोधित अकुशल)

\* (2) अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण हेतु श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.1.2015 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.1.2015) द्वारा प्रारम्भिक प्रकाशन किया गया है जिस पर अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियाधिन है। अंतिम प्रकाशन उपरान्त पृथक से संशोधित दरें प्रकाशित की जा सकेंगी।

  
श्रीमधुवर्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

**श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर**

क्रमांक: 2/1/अन्वे./पांच/2015/9590-889


इन्दौर, दिनांक 30-3-15

**अधिसूचना**

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह/वर्ष 2014	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई	799
अगस्त	808
सितम्बर	811
अक्टूबर	813
नवम्बर	813
दिसम्बर	807
(औसत)	4851 ÷ 6 = 809

तथा इनका औसत 809 घोषित करता हूँ। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिफिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (बी)-1-2014-अ-16 दिनांक 29.9.2014 जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10.10.2014 को प्रकाशित किया गया के द्वारा अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दि. 1.4.2015 से 30.9.2015 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

  
 ( के.सी. गुप्ता )  
 श्रमायुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर**

**कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01/04/2015 से 30.09.2015 की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप**

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4(सी) 3-88-16-ए दिनांक 12.9.1989 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14.09.1989) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.12014 के पृष्ठ क्र.401 पर प्रकाशित श्रम बिभागीय अधिसूचना के अनुसार राज्य के कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गयी हैं जो अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87 = 100) जनवरी से जून 2104 को आधार मानकर की गयी हैं।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 2/11/अन्वे./पांच./15/..... 9590-889 दिनांक 30-3-15 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 809 रहा है। परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर गत छः माह की तुलना में कुल (809-768) 41 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 6/-रूपये प्रतिबिंदु प्रतिमाह के मान से रू. 41X6=रू. 246 तथा कुल रू. 5550+ रू. 246 = रू. 5596 प्रतिमाह या  $5596 \div 30 = 186.53$  (रू. 87.00) (30 दिन के मान से) दिनांक 01.4.2015 से 30.09.2015 तक देय है (अनुसूची द)।



## अनुसूची -द कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राजपण्ड अप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	रूपये में राजपण्ड अप कर दैनिक दरें	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राजपण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन


(दिनांक 1.10.2014 से 31.03.2015 तक)

(दिनांक 1.04.2015 से 30.09.2015 तक)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5350.00	178.33	---	---	5350.00	178.33	178.00	अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	246.00	8.20	5596.00	186.53	187.00

### स्पष्टीकरण- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87 =100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रूपये (छ: रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छ: माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छ: माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में ऐसे तथा रूपये के गुणांक को राजपण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।
- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत है।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

  
 (के.सी. गुप्ता)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इन्दौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/9890-10189


इंदौर, दिनांक 30-3-15

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं के.सी. गुप्ता, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक के माहों के लिये सूचकांको में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय बीड़ी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी 2014	5408
2. फरवरी 2014	5433
3. मार्च 2014	5458
4. अप्रैल 2014	5522
5. मई 2014	5571
6. जून 2014	5615
7. जुलाई, 2014	5753
8. अगस्त, 2014	5773
9. सितंबर, 2014	5773
10. अक्टूबर 2014	5773
11. नवम्बर, 2014	5773
12. दिसंबर, 2014	5773
(औसत)	67625 ÷ 12 = 5635

तथा उक्तानुसार इनका औसत 5635 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 जिसे म.प्र. राजपत्र में दिनांक 12 दिसम्बर 2014 को प्रकाशित किया गया, के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2015 से 31/03/2016 तक देय रहेगा।

  
( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर तथा  
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के  
अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

**परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप**

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-84-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 1.01.2015 से 31.12.2015 तक देय है।

10189 श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/98.90- दिनांक 30-3-15 के अनुसार जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 5635 रहा है, इस तरह जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (5635-5299=336) 336 अंकों की, वृद्धि हुई है। तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (5635-5299=336 पाइंट) 336 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तंबाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीडी के मान से रूपये 3.36 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2015 से 31.12.2015 तक देय होगा।

**(अनुसूची - ई)**

**किसी तंबाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन**

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1.	2.	3.	4.
1. बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिये)	रु 74.00	रु. 3.36	रु. 77.36
			किंतु यदि श्रमिक को किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।

नोट:- एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 77.36 के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (6.45) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (3.86) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (8.18) इस प्रकार कुल रूपये 95.86 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 16.36 की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि में श्रमिकों को कुल रूपये 87.68 एवं भविष्य निधि कटौती उपरान्त शुद्ध राशि 79.50 प्रति हजार बीडी देय होगी

2. रिलाई श्रमिक

**अ. बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना**

1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रूपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	02 पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रूपये 54.07
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रूपये 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	02 पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रूपये 57.94

**ब. झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य**

1. झिल्ली लेबल लगाना	रूपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रूपये 47.63
2. झिल्ली लगाना	रूपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	03 पैसे प्रति बिंदु प्रति चार हजार	रूपये 34.38
3. लेबल लगाना	रूपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति बिंदु प्रति आठ हजार	रूपये 13.26
4. पुडा बनाना या चिपकाना	रूपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति बिंदु प्रति आठ हजार	रूपये 13.67

**स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो**

1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रूपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर	रूपये 206.08
2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	रूपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर	रूपये 227.03
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य	रूपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर	रूपये 227.03

नोट:- बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोइया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1- कुशल:- ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर
- 2- अर्द्धकुशल:- बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोइया, ड्रायवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क
- 3- अकुशल ट्रक से माल चढाने या उतारने या बीड़ियों के मूड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2014 से 31.03.2015 तक निम्नानुसार देय है :-

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
				प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीड़िया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति	5075.00.	195.19	50.00	1.92	5125.00	197.11	197.00
2	ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति	4945.00	190.19	50.00	1.92	4995.00	192.11	192.00
3	तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए	5075.00	195.19	50.00	1.92	5125.00	197.11	197.00
4	भट्टी वाला - रसोईया	5075.00	195.19	50.00	1.92	5125.00	197.11	197.00
5	ड्रायव्हर (घालक)	5225.00	200.96	50.00	1.92	5275.00	202.88	203.00
	भारी वाहन, ड्रायव्हर (घालक) हल्के वाहन	5075.00	195.19			5125.00	197.11	197.00
6	एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडक्लर्क	5225.00	200.96	50.00	1.92	5275.00	202.88	203.00
7	टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन	5075.00	195.19	50.00	1.92	5125.00	197.11	197.00
8	भृत्य, चौकीदार	4945.00	190.19	50.00	1.92	4995.00	192.11	192.00


बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2015 से 30.09.2015 तक निम्नानुसार देय है :-

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
				प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तैन्दूपत्ता देने या बीडिया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति	5075.00	195.19	300.00	11.53	5375.00	206.72	207.00
2	ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीडियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति	4945.00	190.19	300.00	11.53	5245.00	201.72	202.00
3	तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए	5075.00	195.19	300.00	11.53	5375.00	206.72	207.00
4	भट्टी वाला रसोईया	5075.00	195.19	300.00	11.53	5375.00	206.72	207.00
5	ड्रायव्हर (चालक) भारी वाहन, ड्रायव्हर (चालक) हल्के वाहन	5225.00	200.96	300.00	11.53	5525.00	212.49	212.00
		5075.00	195.19	300.00	11.53	5375.00	206.72	207.00
6	एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडक्लर्क	5225.00	200.96	300.00	11.53	5525.00	212.49	212.00
7	टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन	5075.00	195.19	300.00	11.53	5375.00	206.72	207.00
8	भृत्य, चौकीदार	4945.00	190.19	300.00	11.53	5245.00	201.72	202.00

### स्पष्टीकरण

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
3. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोपता अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 5635 (2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी से की जावेगी, और स्तंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।
4. निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
5. जहां निगोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारंटेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारंटेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारंटेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडिया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
09. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।



( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

**Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)  
effective from 01/4/2015 to 31/03/2016  
V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2015**

01.	Basic Wage	74.00
02.	Variable Dearness Allowance	3.36
03.	Leave with Salary (@5% of total wages)	3.87
04.	Total Wages	81.23
05.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	6.45
06.	P.F. contribution of employer (@10% of total wages)	8.18
07.	Total wages + Bonus + PF Contribution) Less Contribution of employer (-)	95.86 8.18
08.	Total Wages + Bonus	87.68
09.	Less PF Contribution of employee (@ 10% of Total Wages) (-)	8.18
10.	Net Payable to Beedi Roller.	79.50

  
**( K.C. GUPTA )**  
 Labour Commissioner  
 Madhya Pradesh, Indore



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 1/9/अन्व./पांच/2009/10/30-489

इंदौर, दिनांक 30-3-15

**अधिसूचना**

**अगरबत्ती उद्योग**

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं के.सी. गुप्ता, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जनवरी 2014 से जून 2014 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ।

माह/वर्ष 2014	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)
जुलाई	252
अगस्त	253
सितम्बर	253
अक्टूबर	253
नवम्बर	253
दिसम्बर	253
(औसत)	$1517 \div 6 = 253$

अतः विगत छः माही का औसत 253 घोषित करता हूँ जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-अ-सोलह दिनांक 29/09/2014 जिसका राजपत्र में प्रकाशन श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 को किया गया, के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 1/04/2015 से देय है।

( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर एवं  
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

**परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की सगणना एवं पुनरीक्षित दरो के संबंध में विवरणात्मक टीप**

**अगरबत्ती उद्योग**

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01/10/2014 से 31/03/2015 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/9/अ/पांच/09/..... दिनांक 30-3-15 के अनुसार, जनवरी 014 से जून 014 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 241 रहा है इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (1982=100) के आधार आकंडो के ऊपर जनवरी 014 से जून 014 तक की अवधि में 12 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है 253-241=12 पाईन्ट) जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 25 (पच्चीस पैसा) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये (25x12=300 paise) 3.00 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01/04/2015 से 30/09/2015 तक देय है।

**अनुसूची एफ**

**अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरें**

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	रु. 21.40	100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 24.40
ब. सुगंधित (सैंटेड)	रु. 22.00	100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 25.00

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पकेट में भरकर पकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पकेट बंद करना

**बिना सिलोफेन या जिलेटन के**

				रु. पैसे
1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 20.48	100 पैसा प्रति बिंदु 500	22.88
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 21.34	100 पैसा प्रति बिंदु 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	23.74
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 21.34	100 पैसा प्रति बिंदु 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	23.74
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 27.23	100 पैसा प्रति बिंदु 400 ( 25 पैसा प्रति बिंदु)	30.23
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 36.58	100 पैसा प्रति बिंदु 300 ( 33 पैसा प्रति बिंदु)	40.54
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 41.54	100 पैसा प्रति बिंदु 250 (40 पैसा प्रति बिंदु)	46.34
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 43.12	100 पैसा प्रति बिंदु 250 ( 40 पैसा प्रति बिंदु)	47.92
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 52.76	100 पैसा प्रति बिंदु 200 ( 50 पैसा प्रति बिंदु)	58.76

**सिलोफेन या जिलेटन के**

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 21.34	100 पैसा प्रति बिंदु 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	23.74
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 26.60	100 पैसा प्रति बिंदु 400 ( 25 पैसा प्रति बिंदु)	29.60
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 33.00	100 पैसा प्रति बिंदु 300 ( 33 पैसा प्रति बिंदु)	36.96
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 34.48	100 पैसा प्रति बिंदु 300 ( 33 पैसा प्रति बिंदु)	38.44
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 37.03	100 पैसा प्रति बिंदु 300 ( 33 पैसा प्रति बिंदु)	40.99
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 43.12	100 पैसा प्रति बिंदु 250 ( 40 पैसा प्रति बिंदु)	47.92
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 51.00	100 पैसा प्रति बिंदु 200 ( 50 पैसा प्रति बिंदु)	57.00
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 54.47	100 पैसा प्रति बिंदु 200 ( 50 पैसा प्रति बिंदु)	60.47

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना.

**बिना सिलोफेन या जिलेटिन के**

		रु.	पै.	
1. 10 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 16.98	100 पैसा प्रति बिंदु 600 (17 पैसा प्रति बिंदु)	रु. 19.02
2. 12 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 17.80	100 पैसा प्रति बिंदु 600 ( 17 पैसा प्रति बिंदु)	19.84
3. 23 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 21.30	100 पैसा प्रति बिंदु 500 ( 20 पैसा प्रति बिंदु)	23.70
4. 50 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 22.19	100 पैसा प्रति बिंदु 500 ( 20 पैसा प्रति बिंदु)	24.59
5. 100 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 26.60	100 पैसा प्रति बिंदु 400 ( 25 पैसा प्रति बिंदु)	29.60
6. 200 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 28.70	100 पैसा प्रति बिंदु 400 ( 25 पैसा प्रति बिंदु)	31.70

**(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना:**

1. 5 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	3.85	100 पैसा प्रति बिंदु 2500 ( 4 पैसा प्रति बिंदु )	4.33
2. 10 अगरबत्ती के लिफाफे के लिये रोल बनाना	प्रति सैकड़ा	4.44	100 पैसा प्रति बिंदु 2200 ( 4.5 पैसा प्रति बिंदु )	4.98
3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	100 पैसा प्रति बिंदु 1500 ( 6.66 पैसा प्रति बिंदु )	37.14

**कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी**  
**01.04.2015 से 30.09.2015 तक**

क्रं.	कर्मचारियों का वर्ग	मूलवेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		रूपये में राउण्ड अप दैनिक दरें		
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	एकाउंटेंट, केशियर, गोडाउनकीपर	8435.00	324.42	300.00	11.53	8735.00	335.95	336.00
2	टाईपिस्ट, क्लर्क	7057.00	271.42	300.00	11.53	7357.00	282.95	283.00
3	मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी बनाने वाला	8435.00	324.42	300.00	11.53	8735.00	335.95	336.00
4	पेटी भरनेवाला, मसाला तोलने वाला	7057.00	271.42	300.00	11.53	7357.00	282.95	283.00
5	पुडा बनाने वाला मसाला भरने वाला, भृत्य, चौकीदार	5939.00	228.42	300.00	11.53	6239.00	239.95	240.00

नोट:- अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलनेवाला, अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

**स्पष्टीकरण**

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके परचात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कालम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

  
( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर